अध्याय 10

लैंगिक समझ और संवेदनशीलता

हमारे देष में नारी को सम्मान देने की गौरवशाली परम्पराएँ रही हैं। हमारी सांस्कृतिक धारणा है कि जिस परिवार में नारी के साथ अच्छा तथा सम्मानजनक व्यवहार होता है, उस पर देवता प्रसन्न रहते हैं। वहाँ सुख–शांति और समृद्धि होती है। अतः नारी को गृहलक्ष्मी कहा गया है। जिस परिवार में नारी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, वहाँ सुख–षान्ति और समृद्धि का अभाव होता है तथा उस परिवार का विकास अवरुद्ध हो जाता है।

सरस्वती के रूप में नारी समाज को षिक्षा प्रदान करती है। माता हर बालक की पहली षिक्षक है। वह बालक में अच्छे गुणों का विकास करती है। नारी को शक्ति का प्रतीक माना गया है। स्पष्ट है कि सांस्कृतिक परम्पराओं के अनुसार भारतीय समाज में नारी का सम्मानजनक स्थान रहा है। नारी ने अपने त्याग, प्रेरणा, क्षमा, सहिष्णुता, प्रेम और ममता से परिवार, समाज और राष्ट्र को समुन्नत किया है।

प्राचीन कालीन भारतीय समाज और नारी

प्राचीन भारत में नारी की स्थिति सुखद थी। उस काल में महिलाएँ सभी कार्यों में पुरुषों के समान बराबरी से भाग लेती थीं। कोई कार्य लिंग के आधार पर बँटा हुआ नहीं था। स्त्री–पुरुष और बालक–बालिकाओं का समान महत्त्व था। हमें उस काल की गार्गी, मेत्रैयी, लोपामुद्रा आदि उच्च षिक्षित महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जो पुरुषों के साथ षास्त्रार्थ में भाग लेती थीं। अनेक वैदिक ऋचाओं की रचना महिलाओं (ऋषिकाओं) द्वारा की गईं। महिलाएँ राजकार्य और युद्धों में भी भाग लेती थीं। राजतरंगिणी में उल्लेख है कि सुगन्धा, दिद्दा और कोटा नामक महिलाओं ने बहुत समय तक कष्मीर में षासन का संचालन किया था।

मध्यकाल में नारी की स्थिति

परवर्तीकाल में, विषेषकर मध्यकाल में भारतीय नारी की पारम्परिक स्थिति में गिरावट आ गई थी। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मामलों में बालक–बालिका के बीच अन्तर किया जाने लगा। बदली हुई परिस्थितियों में उसे षिक्षा से वंचित रहना पड़ा। उसे घरेलु कार्यों की जिम्मेदारियों तक सीमित कर घर की चारदीवारी में ही रहने को बाध्य किया गया। बालविवाह, सतीप्रथा, पर्दाप्रथा, दहेज प्रथा जैसी अनेक कुप्रथाओं से उसे पीड़ित होना पड़ा। उसकी पुरुष पर निर्भरता बढ़ती गई। अनेक सामाजिक मान्यताओं के प्रभाव से महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई। इस काल में दुर्गावती, अहिल्याबाई और 19वीं षताब्दी में झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी साहसी महिलाओं ने अपने राज्य का शासन–संचालन करते हुए शत्रु से लोहा लिया। भक्तिमति मीराबाई ने जनमानस पर व्यापक प्रभाव डाला ।

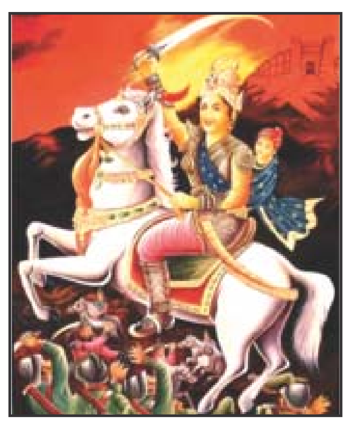
झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई

19वीं शताब्दी के समाज–सुधार और नारी

महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्री बाई फुले

19वीं शताब्दी में समाज–सुधारकों ने नारी की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। राजा राममोहन राय ने सतीप्रथा के विरूद्ध कानूनी प्रतिबंध लगवाया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा–विवाह के समर्थन में जागृति पैदा की। इनके संबंध में कानून भी बनाए गए। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने महिला–शिक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने भी नारी–उत्थान के लिए कार्य किया। आजादी की लड़ाई में महिलाओं ने भी प्रमुखता से भाग लिया। 20वीं शताब्दी में महिला–आन्दोलन ने जोर पकड़ा, जिसने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। हालाँकि इस क्षेत्र में अभी और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

गतिविधि :

1. विभिन्न समाज सुधारकों के चित्रों को चार्ट पर चिपका कर उनके कार्यों को लिखिए।
2. शिक्षक की सहायता से स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने वाली महिलाओं की सूची बनाइए।

महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। अक्सर हम लैंगिक–बोध जैसी चर्चाएँ भी सुनते हैं। इससे जुड़ी हुई बातों के साथ ही इसे समझना उपयोगी है।

लिंग–भेद

एक माता अपने शिशु को अपना दूध पिलाती है, परन्तु इस प्रकार की विशेषता प्रकृति ने पुरुष को प्रदान नहीं की है। स्त्री और पुरुष का यह अन्तर लिंग–भेद है। लिंग–भेद स्त्री और पुरुष की शारीरिक बनावट पर आधारित जैविक अंतर है, जो स्त्रीत्व और पुरुषत्व का आधार है। प्राकृतिक होने के कारण इस प्रकार का अन्तर सभी जगह और सभी समय समान होता है।

लैंगिक भेद

लैंगिक भेद को 'लैंगिक असमानता' भी कह सकते हैं। सामाजिक असमानता का यह रूप न्यूनाधिक मात्रा में दुनिया में प्रायः हर स्थान पर मौजूद रहा है। ऐसा नहीं है कि पुरुष घरेलु व घर की देखभाल के कार्य नहीं कर सकते हैं, किन्तु ऐसी सोच बनी हुई है कि घर के भीतर के कार्य महिलाओं की जिम्मेदारी है। जबकि वे घर से बाहर के व धन कमाने के कार्य भी कर सकती हैं और कर भी रही हैं। यह सोच लैंगिक भेद का एक उदाहरण है।

स्त्रियों और पुरुषों के बीच अधिकारों, अवसरों, कर्त्तव्यों तथा सुविधाओं के बीच असमानता पर आधारित बँटवारा लैंगिक भेद है। यह अवधारणा एक सामाजिक–सांस्कृतिक निर्माण है जो समय और स्थान के साथ बदलती रही है। अनेक सामाजिक मूल्य और रूढ़ीवादी धारणाएँ लैंगिक भेद को हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के जैविक अन्तर से जोड़ती रही हैं।

घरेलू कार्य करती महिलाएँ

लैंगिक संवेदनशीलता

लैंगिक संवेदनशीलता का अर्थ है कि स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति समान भाव अनुभव करना। लैंगिक संवेदनशीलता को लैंगिक समानता भी कहते हैं। लैंगिक संवेदनशीलता को समझकर बालक–बालिका के पालन–पोषण, शिक्षा व स्वास्थ्य में कोई अन्तर नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने विकास के लिए समान अवसर और अधिकार देने चाहिए। हमारे समाज की खुशहाली स्त्री और पुरुष दोनों के ही समान सहयोग पर निर्भर है। महाकवि कालिदास ने कहा है– ''यह स्त्री है, यह पुरुष है– यह निरर्थक बात है। वस्तुतः सत् पुरुषों का चरित्र ही पूजा के योग्य होता है।''

अब हम समाज में मौजूद लैंगिक भेद (असंवेदनशीलता) के अनेक रूपों पर चर्चा करते हैं–

लैंगिक भेदभाव के विभिन्न रूप–

1. श्रम का लैंगिक विभाजन

लड़के और लड़कियों के पालन–पोषण के दौरान ही यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी घर चलाने और बच्चों का पालन–पोषण करने की है। हम देखते हैं कि परिवार में खाना बनाना, सफाई करना, बर्तन और कपड़े धोना आदि घरेलू कार्य महिलाएँ करती हैं। इसके अलावा गाँवों में महिलाएँ और बालिकाएँ दूर–दूर से पानी लाने और जलाऊ लकड़ी के गट्ठर ढोने के कार्य भी करती हैं। वहीं महिलाएँ खेतों में पौधे रोपने, खरपतवार निकालने, फसले काटने और दुधारु पशुओं की देखभाल का कार्य भी करती

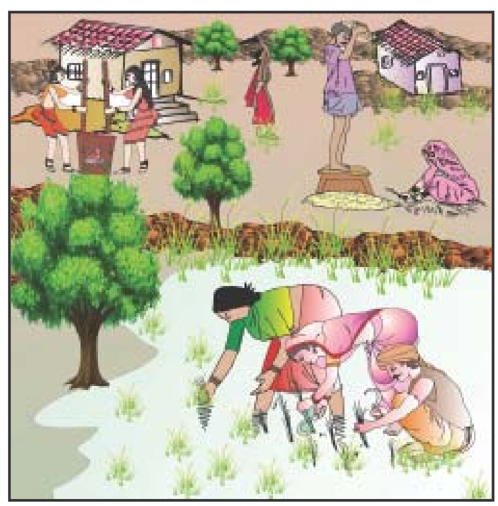

खेत में काम करती महिलाएँ

हैं। फिर भी हम जब किसान के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में एक महिला किसान के बजाए पुरुष किसान की छवि ही उभरती है।

एक तरफ ये कार्य भारी और थकाने वाले होते हैं, तो दूसरी ओर महिलाओं द्वारा किये गए इन कार्यों का महत्त्व कम करके आँका जाता है। ऐसे कार्यों में लगी महिलाओं को मजदूरी भी कम दी जाती है। इन कार्यों में लगी लड़कियाँ शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। वास्तव में यदि हम महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घर और बाहर के कामों को जोड़ें, तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर सामान्यतः महिलाएँ पुरुषों से अधिक काम करती हैं।

2. शिक्षा और काम के अवसर

पुरुषों की तुलना में शिक्षित स्त्रियों की संख्या कम है। वर्तमान समय में बड़ी संख्या में लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं। परन्तु बहुत–सी लडकियाँ गरीबी, शिक्षण–सुविधाओं के अभाव व अन्य कारणों से शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देती हैं। विशेषकर वंचित वर्ग, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग की लड़कियाँ बड़ी संख्या में बीच में ही स्कूल छोड़ देती हैं।

पशु चराती बालिका

राजस्थान जनगणना – 2011

1. लिंगानुपात	:	928 प्रति हजार
2. कुल साक्षरता	:	66.17 प्रतिशत
पुरुष साक्षरता	:	79.20 प्रतिशत
महिला साक्षरता	:	52.10 प्रतिशत

समाज में प्रायः यह सोचा जाता है कि घर के बाहर महिलाएँ कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती हैं। यह भी माना जाता है कि लड़कियाँ और महिलाएँ तकनीकी कार्य को करने में सक्षम नहीं होती हैं। इस प्रकार की रूढ़ीवादी धारणाओं के चलते लड़कियों को अनेक कार्यों व व्यवसायों की शिक्षा और प्रशिक्षण लेने के लिए परिवार का सहयोग नहीं मिल पाता है। फलस्वरूप उन्हें अनेक क्षेत्रों में कार्य के अवसरों से वंचित रहना पड़ता है। सरकार के प्रोत्साहन एवं प्रयासों के बाद अब स्थितियाँ बदलने लगी हैं। अब सभी कार्य क्षेत्रों में महिलाओं को भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है।

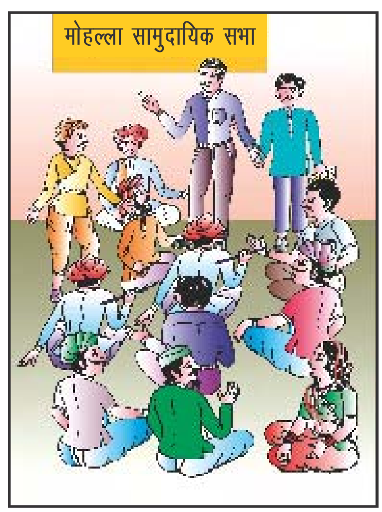

मोहल्ले की सामुदायिक सभा में महिलाओं की कम उपस्थिति

3. सामुदायिक सहभागिता

सामुदायिक स्तर पर भी महिलाओं और पुरुषों की भूमिका और सहभागिता में बड़ा भेद मौजूद है। घर की चार दीवारी तक

सीमित कर दिए जाने के कारण सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में महिलाओं की भूमिका नगण्य है। सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में है और महिलाओं को कम भागीदारी दी जाती है। उन्हें सामुदायिक कार्यों के नेतृत्व के पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाते हैं।

यद्यपि भारत में महिलाओं ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश जैसे उच्च पदों को सुशोभित किया है, किन्तु संसद, विधानसभाओं और मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है।

गतिविधि :
शिक्षक की सहायता से निम्नलिखित पदों पर पदस्थापित रही भारत की प्रथम महिलाओं के नाम लिखिए– 1. राष्ट्रपति 2. प्रधानमंत्री 3. राज्यपाल 4. मुख्यमंत्री 5. सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश

अब हम महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए किए गए कार्यों की चर्चा करेंगे।

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सामाजिक और वैधानिक दोनों स्तरों पर अनेक प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों से होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के कारण महिलाओं में गतिशीलता बढ़ी है और अब सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी में वृद्धि हो रही है। धीरे–धीरे सामाजिक धारणाएँ भी बदल रही हैं। आज सेना, पुलिस, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक और विश्वविद्यालयी शिक्षक जैसे पेशों में भी बहुत सी महिलाएँ कार्य कर रही हैं। बहुत–सी महिलाएँ सफलतापूर्वक व्यापारिक प्रतिष्ठानों का संचालन कर रही हैं।

गतिविधि :
शिक्षक की सहायता से निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित भारतीय महिलाओं की सूची बनाइए– (अ) प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी (ब) प्रसिद्ध महिला राजनीतिज्ञ (स) अन्य क्षेत्रों में प्रसिद्ध महिलाओं के नाम

महिला–आंदोलन और नारी–उत्थान

महिलाओं ने पारिवारिक और सार्वजनिक जीवन में बराबरी की माँग उठाई। महिला संगठनों ने समाज, विधायिका और न्यायालय का ध्यान इस ओर खींचा। जहाँ कहीं भी महिलाओं के अधिकारों का

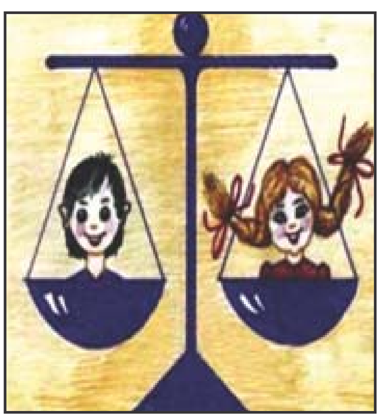
लैंगिक समानता

महिला आंदोलन

उल्लंघन होता है, तो उसके विरुद्ध आवाज उठाई जाती है। मामले को उचित स्तर पर रखकर न्याय दिलाने का प्रयास किया जाता है। महिलाएँ जागरूक और संगठित हुई हैं। महिला–संगठन विधानसभाओं और संसद में 33 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करवाने की माँग प्रमुखता से उठा रहे हैं। महिला संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए अनेक कानून और योजनाएँ बनाई गई हैं। नतीजतन महिलाओं के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है।

गतिविधि :
अपने क्षेत्र की महिला जन प्रतिनिधियों व अन्य क्षेत्रों में कार्यरत प्रमुख महिलाओं की जानकारी प्राप्त करके सूची बनाइए।

सरकारी उपाय

सरकार दो तरह से महिलाओं की प्रगति, सुरक्षा और संरक्षण के कार्य कर रही है– पहला, महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कानून बनाए गए हैं। दूसरा, महिलाओं की प्रगति के लिए अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

1. सरकार ने सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध दहेज प्रथा निषेध कानून, बाल विवाह निषेध कानून, सती प्रथा निषेध कानून जैसे कानून बनाकर इन्हें दण्डनीय अपराध घोषित किया है।
2. महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए दंडात्मक कानून बनाया गया है।
3. पंचायतीराज व्यवस्था और नगरीय निकायों के चुनावों में महिलाओं के लिए राजस्थान में 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर दिए गये हैं।
4. महिला समस्याओं के हल में मदद के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग बनाए गए हैं।
5. सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए पद आरक्षित कर दिए गए हैं।
6. समान कार्य के लिए समान मजदूरी का कानून बनाया गया है।
7. महिला उत्थान की योजनाएँ–
   - प्रत्येक जिले में महिला थानों और महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्रों का गठन किया गया है।
   - शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएँ देना तथा 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली लड़कियों को साइकिल देना। शैक्षिक रूप से पिछड़े उपखण्डों में आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं।

> महिला आयोग में महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन/हनन् के मामले, घरेलू हिंसा, दहेज, यौन अपराध, पुलिस द्वारा असहयोग, लैंगिक भेदभाव, साइबर अपराध आदि की षिकायत की जा सकती है।

> **निःशुल्क टेलीफोन नम्बर**
> 1. बाल कल्याण हेल्प लाईन –1098
> 2. महिला हेल्पलाईन–1090/1095/112

- रोजगार का प्रशिक्षण देना और रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना ।
- महिला के नाम से सम्पत्ति की रजिस्ट्री करवाने पर शुल्क में छूट देना।
- गरीब परिवारों को मकान के लिए निःशुल्क जमीन महिला के नाम से आवंटित करना।
- बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए बचत द्वारा धन जुटाने हेतु 'सुकन्या समृद्धि योजना' प्रारम्भ की गई है।
- भामाशाह योजना में परिवार का मुखिया महिला को बनाना ।
- महिला और बाल कल्याण के लिए 'जननी सुरक्षा योजना' जैसी अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं।
- लिंगानुपात में समानता लाने के लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान चलाया जा रहा है।

परिवार, समाज एवं देश की प्रगति में महिलाओं व पुरुषों का महत्त्व बराबर है। महिला और पुरुष दोनों की समानता से ही परिवार की खुशहाली और समाज की प्रगति सम्भव है।

गतिविधि :
आपके क्षेत्र में सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए।

शब्दावली

परवर्तीकाल	–	बाद का समय या बाद में होने वाला
बाल विवाह	–	लड़के की आयु 21 वर्ष व लड़की की आयु 18 वर्ष होने से पहले ही किया जाने वाला विवाह
जैविक	–	वह बात जो जीव से उत्पन्न होने से संबंधित है
लैंगिक	–	स्त्रीलिंग–पुल्लिंग सम्बन्धी
श्रम विभाजन	–	कार्यों को परस्पर बाँट लेना
लिंगानुपात	–	प्रति एक हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

   (i) बालक का पहला शिक्षक होता है –

   (अ) परिवार (ब) विद्यालय (स) मित्र (द) माता ( )

   (ii) मीराबाई प्रसिद्ध है –

   (अ) राजनीति के लिए (ब) शासन के लिए

   (स) ईश्वर–भक्ति के लिए (द) इनमें से कोई नहीं ( )

2. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

   (I) भामाशाह योजना में परिवार का मुखिया..................... होती है।

   (ii) .... ने सती प्रथा के विरुद्ध कानूनी प्रतिबंध लगवाया।

   (iii) प्रत्येक जिले में महिला .... और महिला .... केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

   (iv) ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने..................के समर्थन में जागरूकता पैदा की।

3. प्राचीन काल में समाज में नारी की स्थिति कैसी थी?

4. लैंगिक संवेदनशीलता से आप क्या समझते हैं ?

5. महिला सशक्तीकरण के लिए कौन–कौनसे कानून बनाए गए हैं ?

6. महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी दीजिए।